बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12.9.16

संख्या–9/सं0सं0–20–102/99, सा0प्र0 12428 /भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ ।–(1) यह नियमावली बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी।

   (2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2006 के नियम–7 के उप नियम (3) का संशोधन ।–बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006 के नियम–7 के उप नियम–(3) का प्रावधान निम्नलिखित प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

"निम्नवर्गीय लिपिक के प्राधिकृत बल का 10 प्रतिशत पद बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2014 में विहित प्रक्रिया के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा। ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गई हो, के आश्रितों पर सीधी भर्ती कोटा के शेष 75 प्रतिशत पद के विरूद्ध अपेक्षित मानदण्ड पूरा करने पर, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारण किया जा सकेगा, जिसके लिये आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी।

परन्तु सेवाकाल में मृत्त सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति के उपरांत, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की शेष रिक्तियों के लिये अधियाचना आयोग को पूर्ववर्त्ती कैलेण्डर वर्ष के दिसम्बर माह तक भेजी जायेगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

9/9

(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:–9/सं0सं0–20–102/99, सा0प्र0 12428/पटना–15, दिनांक– 12 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि:–वित्त विभाग, गजट कोषांग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु सी0डी0 के साथ प्रेषित।

9/9

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:–9/सं0सं0–20–102/99, सा0प्र0 12428/पटना–15, दिनांक– 12 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि:–महालेखाकार, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार विधान सभा/ विधान परिषद्/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग/पटना/ को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/9

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:–9/सं0सं0–20–102/99, सा0प्र0 12428 पटना–15, दिनांक– 12 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि:–आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

9/9

सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

12428

संख्या–9/सं0सं0–20–102/99, सा0प्र0 12429 /अधिसूचना संख्या– ~~12429-16~~ दिनांक 12-9-16/ का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

9/9

(दयानिधान पाण्डेय)

सरकार के अपर सचिव।

Government of Bihar

General Administration Department

Notification

Patna, dated- 12/9/ 2016

NO- 9/sa.sa.-20-102/99GAD-------12429-------/ In exercise of the powers conferred by the proviso of the article 309 of the constitution of India, the Governor of Bihar makes the following Rules for the amendment of the Bihar Secretariat Clerical Service Rules 2006:-

1. Short title and commencement –(1) These Rules may be called "The Bihar Clerical Service (Amendment) Rules, 2016

   (2) It shall come into force at once.
2. Amendment of sub rule (3) of rule 7 of the said Rules, 2006- The provision of sub rule (3) of rule 7 of the Bihar Secretariat Clerical Service Rules, 2006 shall be substituted by the following provision:-

"10% post of the authorized strength of lower division clerk shall be filled up by the appointment of outstanding players by the prescribed procedure according to The Bihar Outstanding Sportsperson Appointment Rules, 2014. The dependents of such government servants who have died while in service, can be considered for the appointment on compassionate basis against the rest of 75% posts of Direct Recruitment Quota on fulfilling the requisite eligibility criterion for deserving candidates, for which recommendation of the commission shall not be required.

Provided that after the appointment of dependents of the government servants, who have died in service period, requisition for rest vacancies of each calendar year shall be sent to the commission latest by the month of December of the proceeding calendar year."

By order of the Governor of Bihar,

Sd/- 9/9

(Dayanidhan Pandey)

Additional Secretary to Government.

Memo No.-9/Sa.Sa-20-102/99GAD...12429.../Patna 15, dated-....12...Sep. 2016

Copy forwarded to-Finance Department,Gazzette Cell, Bihar, Patna for publication in the forthcoming issue of Bihar Extraordinary Gazzette, (CD attached).

Sd/- 9/9

Additional Secretary to Government.

Memo No.-9/Sa.Sa-20-102/99GAD...12429.../Patna 15, dated-.....12...Sep. 2016

Copy forwarded to-Accountant General, Bihar, Patna/ All Departments/All head of Departments/Secretary, Bihar legislative Assembly/Legislative Council/Governor Secretariat/Chief Minister's Secratariat/P.S. to Deputy Chief Minister, Bihar, Patna/ Secretary, Bihar Public Service Commission/Secretary, Bihar Staff Selection Commission, Patna for information and necessary action.

Sd/- 9/9

Additional Secretary to Government.

Memo No.-9/Sa.Sa-20-102/99GAD...12429.../Patna 15, dated-...12...Sep. 2016

Copy forwarded to-I.T.Manager, General Administration Department, Bihar, Patna to publish on the website.

Sd/- 9/9

Additional Secretary to Government.